छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि. जिला कार्यालय

प्रोफेसर कालोनी, विपणन संघ कार्यालय के पास, सदानंद भवन कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक / साविप्र / अनु.स्कंध निरा. / 2016–2017 / **कवर्धा दिनांक 03.03.2017**

प्रति,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
जिला – कबीरधाम।

विषय – कोटेशन सूचना कबीरधाम जिले के ई–पोर्टल में अपलोड करने बाबत्।

––00––

विषयान्तर्गत जिले के विभिन्न प्रदाय केन्द्रो में अनुपयोगी बारदानों के निराकरण हेतु इस पत्र के साथ कोटेशन सूचना क्रमांक / साविप्र / अनु.स्कंध निरा. / 2016–2017 / कवर्धा दिनांक 03.03.2017 को कबीरधाम जिले के ई–पोर्टल में अपलोड कर कोटेशन आमंत्रण सूचना जारी करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (02 प्रति)

जिला प्रबंधक
कबीरधाम

पृ.क्रमांक / साविप्र / अनु.स्कंध निरा. / 2016–2017 / ~~408~~ 691 A **कवर्धा दिनांक 03.03.2017**

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय, जिला – कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. महाप्रबंधक (साविप्र / उपार्जन) छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न कोटेशन सूचना को स्टेट ई–पोर्टल में अपलोड करवाने का कष्ट करेंगे।
3. खाद्य अधिकारी – जिला कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. केन्द्र प्रभारी, कवर्धा / बोड़ला की ओर प्रेषित कर लेख है कि संलग्न कोटेशन आमंत्रण सूचना का स्थानीय स्तर पर पर्याप्त प्रचार प्रसार करेंगे।

4.3.17

जिला प्रबंधक
कबीरधाम

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि. जिला कार्यालय

प्रोफेसर कालोनी, विपणन संघ कार्यालय के पास, सदानंद भवन कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक/साविप्र/अनु.स्कंध निरा./2016–2017/ कवर्धा दिनांक 03.03.2017

–::अनुपयोगी बारदाना विक्रय हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना ::–

इस जिले के प्रदाय केन्द्रों में उपलब्ध अनुपयोगी बारादानाके विक्रय हेतु इच्छुक क्रेताओं से दिनांक 17.03.2017 दोपहर 1:00 बजे तक निगम जिला कार्यालय प्रोफेसर कालोनी, विपणन संघ कार्यालय के पास, सदानंद भवन कबीरधाम में कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन इसी दिनांक को दोपहर 03:00 बजे निगम जिला कार्यालय कबीरधाम में ही खोले जायेंगे। केन्द्रवार उपलब्ध अनुपयोगी बारदाना का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	प्रदाय केन्द्र का नाम जंहा स्कंध उपलब्ध है।	समाग्री का विवरण
		अनुपयोगी बारदाना
1	2	3
1	कवर्धा	2529
2	बोड़ला	456
	योग	**2985**

–::अनुपयोगी बारदाना विक्रय के लिये कोटेशन की शर्ते ::–

1. उपलब्ध अनुपयोगी बारदाना का विक्रय "जंहा है जैसा है" के आधार पर किया जाना है। उपलब्ध स्कंध की मात्रा उपरोक्त दर्शित मात्रा में से कम/अधिक हो सकता है।
2. कोटेशन देने के इच्छुक क्रेता जिला प्रबंधक से संपर्क कर प्रदाय केन्द्रो पर उपलब्ध बारदाना का निरीक्षण कर संतुष्ट होने पर कोटेशन प्रदान करेंगे।
3. इच्छुक कोटेशन दाता लिफाफे पर पासपोर्ट साईज स्वप्रमाणित फोटो के साथ बारदाना हेतु दर प्रति नग के आधार पर कोटेशन दर प्रस्तुत करेंगे।
4. कोटेशन के साथ अर्नेस्ट मनी अनुपयोगी बारदाना हेतु 1.00 रूपये प्रति नग की दर से अमानत राशि (अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीयकृत /शेड्युल बैंक का "छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड कवर्धा" के नाम से देय होगा।) संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अमानत राशि के बिना कोटेशन पर विचार नही किया जाएगा।
5. कोटेशन दर स्वीकृत होने पर H1 (सर्वोच्च दर वाले कोटेशन दाता) को छोड़कर अन्य कोटेशन दाताओं की अमानत राशि जिला कार्यालय द्वारा वापस कर दी जावेगी।
6. दरें स्वीकृत होने पर अनुपयोगी बारदाना के मूल्य की समस्त राशि आर.टी.जी.एस./बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से जिला कार्यालय में जमा कर अधिकतम 15 दिवस के भीतर अनुपयोगी बारदाना का उठाव करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में उठाव नही करने पर नियमानुसार निर्धारित भण्डारण शुल्क जमा कराकर पुनः 15 दिवस की समय–सीमा निगम मुख्यालय – रायपुर से अनुमति प्राप्त कर बढ़ाई जाएगी। इसके बाद भी उठाव नही करने पर कोटेशन दाता को सामाग्री प्रदान नही करते हुये उनके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

7. अनुपयोगी बारदाना का भुगतान एक साथ एक तरफ से दिया जावेगा। अनुपयोगी बारदाना छांटकर प्रदाय नही किया जायेगा। अनुपयोगी बारदाना के उठाव हेतु अन्य सामाग्री की व्यवस्था कोटेशन दाता को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
8. कोटेशन स्वीकृत होने पर अनुपयोगी बारदाना के मूल्य की सम्पूर्ण राशि जिला कार्यालय कबीरधाम में जमा कर अनुबंध जिला कार्यालय में किया जाएगा।
9. निगम से अनुपयोगी बारदाना उठाव के पूर्व कोटेशनदाता द्वारा कय किये जा रहे अनुपयोगी बारदाना मानव के खाने के लिये उपयोग/विकय नही किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र देना होगा।
10. प्रदाय केन्द्र में उपलब्ध अनुपयोगी बारदाना का उठाव करने में होने वाले समस्त व्ययों को केता द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
11. विकय हेतु उपलब्ध सामागी के मूल्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य समस्त करों का वहन केता द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
12. अपवाद स्वरूप अनुपयोगी बारदाना के उठाव करने में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर उसके निराकरण के लिये प्रथमतः निगम के प्रबंध संचालक महोदय व इनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा इनके द्वारा दिया गय निर्णय केता पर बंधनकारी होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवादों के लिये न्यायालय क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।
14. किसी भी कोटेशन दर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अंतिम निर्णय का अधिकार प्रबंध संचालक महोदय के पास सुरक्षित रहेगा।

जिला प्रबंधक
कबीरधाम